

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्राथी/वादी
मगोपाल


बनाम

अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

सोनाराम वगैरह

सम प्रकरण : राजस्व प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 189/2025

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये।
03.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील गैर हाजिर। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण अधीन धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट 1956 के तहत दिनांक 12.06.2025 से तलबी हेतु न्यायालय में तलबी स्तर पर विचाराधीन है, जबकि उक्त प्रकरण सम्मरी प्रोसेडिंग का है तथा इनके निस्तारण हेतु 3 माह की अवधि निर्धारित है। वकील प्राथी के निवेदन पर वकील प्राथी को पूर्व में अनेक अवसर दिये गये थे परन्तु वकील प्राथी ने साबिका आदेश की पालना आदिनांक तक नहीं की है।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र अधीन धारा धारा 111, 128 आरएलआर 1956 बावजूद हिदायत अप्रार्थीगण की तामील किये जाने संबंधी पर भी न्यायालय आदेश की पालना नहीं की जाने पर आदेश-9 नियम-5 के तहत अदम तकमील व अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;"> (दिव्या सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>	